

# समाहरणालय, मुंगेर

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अत्यंत अल्पकालीन निविदा सूचना

संभावित बाढ़ 2014 की पूर्व तैयारी के मद्देनजर नाव की आवश्यकता होगी, जिसके दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से सील बंद निविदा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा चिंहित कर अलग-अलग सील बंद लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिलाधिकारी, मुंगेर के पदनाम से मो0 10,000.00 (दस हजार) रुपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नकद जिला नजारत प्रशाखा, मुंगेर में नाजीर रसीद प्राप्त कर जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि ~~28.08.2014~~ को अपराह्न 2:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्र0	नाव का आकार	विशिष्ट्यो	अन्य विवरण
1	30'x7.5'x2.5'	<ol style="list-style-type: none"><li>1. नीचे तरी-तख्ता-मोटाई 1.25 इंच</li><li>2. तरी की चौड़ाई - 7.5'</li><li>3. तरी की लम्बाई - 25'</li><li>4. बगली की दीवार - तख्ता की मोटाई 1" तरी तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई 4"x2"</li><li>5. तरी पर सर्पोटर - 17 पीस एवं बगली की दीवार पर सर्पोटर - 17 पीस</li><li>6. रस्सी बाधने वाला खूंटा 3"x3" - 2 पीस</li><li>7. नाव की ऊपरी भाग सर्पोटर (गुड़ा) -मोटाई 4"x3" - 5 पीस</li><li>8. बगली दीवार की उपरी भाग पर बंधन बत्ती-मोटाई 4"x1"</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 70% जामुन की लकड़ी एवं 30% सखुआ की लकड़ी</li><li>2) जामुन की लकड़ी का तरी एवं तख्ता तथा बगली की दीवार सखुआ की लकड़ी का</li><li>3) दोनों नावों के ऊपरी भाग पर 6" मलंग</li><li>4) रस्सी, गहनी, अलकतरा एवं पीला रंग बार्डर पेन्ट सहित</li></ol>

## निविदा की शर्तें :-

1. नाव की आपूर्ति निर्धारित समय पर निर्धारित माप दण्ड से करने हेतु एकरारनामा आपूर्तिकर्ता को करना होगा। एकरारनामा का उल्लंघन करने पर आपूर्तिकर्ता का अग्रधन की राशि जप्त करते उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
2. नाव की आपूर्ति के पूर्व गठित जाँच कमिटी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
3. आपूरित नावों की गुणवत्ता तथा विष्टियों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में क्रय स्वीकार नहीं होगा और इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
4. नाव की आपूरित संबंधित अंचल के चिन्हित घाट तक करनी होगी, जिसका भाड़ा देय नहीं होगा।
5. नाव की आपूरित गहनी एवं अलकतरा इत्यादि की प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त परिचालन की अवस्था में की जायेगी।
6. आपूरित नाव की विपत्र का भुगतान आयकर, वाणिज्यकर एवं वैट इत्यादि कर की राशि कटौती के उपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक नाव को पीले रंग के अघुलनशील पेंट से किया जायेगा, ताकि ज्ञात हो सके कि यह सरकारी नाव है। इसके अतिरिक्त नाव पर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला का नाम मुंगेर, क्रम संख्या एवं लगान क्षमता अंकित रहेगा।
8. निविदादाता को अद्यतन अनुज्ञप्ति (यदि स्वयं निर्माण करते हो तो), वैट के अन्दर निबंधन प्रमाण पत्र अद्यतन, वाणिज्यकर, निबंधित वैट, आयकर विभाग का अद्यतन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की छायाप्रति, काली सूची में नहीं रहने का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी का देना होगा। इसके अतिरिक्त इच्छुक आपूर्तिकर्ता को निविद दर के आधार पर अपना प्राक्कलन भी देना होगा। सभी प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।
9. निविदा की शर्तों में बदलने, रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

मुंगेर 14.3.14  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।